पटना नगर निगम

پٹنہ میونسپل کارپوریشن

PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना नगरपालिका

CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांकः 10549.

Date / दिनांकः 01/07/2026.

कार्यालय आदेश

पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मानसून के दौरान अतिवृष्टि होने पर विभिन्न वार्डों में डेंगू एवं चिकुनगुनिया के मामले में वृद्धि हो जाती है। इस दौरान आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण निगम क्षेत्रान्तर्गत विशेषकर जल जमाव वाले क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में मानसून के दौरान विशेष अभियान के तहत एंटी लार्वा का छिड़काव करने से संबंधित निम्न आदेश दिये जाते है :-

1. सभी वार्डो में सेक्टरवार एक-एक टीम का गठन किया जायेगा। एक दल में दो कर्मी होगें, जिसमें से एक कर्मी के पास एंटी लार्वा छिड़काव हेतु स्प्रे मशीन तथा दूसरे कर्मी के पास पंजी होगा।
2. प्रत्येक सेक्टर के टीम के द्वारा प्रतिदिन न्यूनतम 50 (पचास) घरों में एंटी लार्वा का छिड़काव सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सभी सेक्टरों में एंटी लार्वा छिड़काव कार्य हेतु संबंधित वार्ड के कर्मियों को जिम्मेवारी दी जायेंगी। कार्यपालक पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्प्रे करने वाले कर्मी PPE kit (Mask, Gloves Etc) का प्रयोग करेंगे।
4. कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा संबंधित वार्ड के योग्य कर्मी को पंजी/प्रपत्र संधारण एवं फीडबैक प्राप्त करने का कार्य की जिम्मेवारी सौपीं जायेंगी।
5. छिड़काव के उपरान्त पंजी में निर्धारित डेंगू जागरूकता प्रपत्र भरवाकर संबंधित घर के मुखिया/सदस्य से हस्ताक्षर एवं मोबाईल नम्बर प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
6. **प्रतिदिन छिड़काव के उपरान्त भरे गये प्रपत्र पर माननीय वार्ड पार्षद से हस्ताक्षर (मुहर सहित) करवाते हुए संबंधित अंचल कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।**
7. **सभी कार्यपालक पदाधिकारी निदेशित है कि सम्पूर्ण मानसून अवधि तक प्रत्येक अंचल में नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे। नियंत्रण कक्ष के द्वारा प्रतिदिन फौगिंग तथा एंटी लार्वा कार्य का प्रतिदिन Randomly 50 (पचास) घरों से सम्पर्क स्थापित कर Verify किया जायेगा, जिसका औचक निरीक्षण के दौरान जांच किया जायेगा।**
8. **प्रभारी पदाधिकारी नियंत्रण कक्ष मुख्यालय निदेशित है कि फौगिंग तथा एंटी लार्वा कार्य का अंचल से दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए प्रत्येक अंचल के 10 (दस) घरों से Randomly सम्पर्क स्थापित कर Verify करते हुए अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।**
9. फॉगिंग कार्य के नियंत्रण/पर्यवेक्षण एवं मिक्सिंग कार्य हेतु गठित निम्नानुसार टीम, निर्धारित अनुपात में दवा के मिश्रण हेतु संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षित करना सुनिश्चित करेंगे।

क्र०	मिक्सिंग कार्य हेतु नोडल पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	आवंटित अंचल
1)	संत कुमार झा (8252215975) APSWMO	नूतन राजधानी अंचल
2)	श्रीमति किरण कुमारी, (9264447452) APSWMO	पाटलीपुत्र अंचल
3)	शुभम कुमार (7488119669) APSWMO	कंकडबाग अंचल
4)	डॉ0 पंकज कुमार (9430853777) पशु चिकित्सक अमित राज (8102764637) APSWMO	बांकीपुर अंचल

5)	अपूर्व तिलक (7903289229) APSWMO	पटना सिटी अंचल
6)	डॉ0 गौरव कुमार (8002004909) पशु चिकित्सक	अजीमाबाद अंचल

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

01/07/2026
नगर आयुक्त
पटना नगर निगम

ज्ञापांक: SANI/VI/244/351/2024 - 10549, दिनांक:- 01/07/2026

प्रतिलिपि:-

1. नाजीर मुख्यालय, पटना नगर निगम निदेशित है कि यथाशीघ्र आवश्यकतानुसार पंजी छपवाकर वितरण करना सुनिश्चित करेंगे।
2. सभी अंचल के वरीय पदाधिकारी (अपर नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त)/सभी कार्यपालक पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी नियंत्रण कक्ष मुख्यालय/सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी/सभी संबंधित APSWMO पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त
पटना नगर निगम

01.7.2026